

कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail : nodalofficerddn@gmail.com

Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक— 1726 / FP/UK/ROAD/146204/2021 : देहरादून: दिनांक: 5 जनवरी, 2022
सेवा में,
वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त,
उत्तराखण्ड पौड़ी।

विषय— जनपद—चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत डिम्बर—सुमल्टा मोटर मार्ग के किमी 0.06 से ग्राम कोलाडुंग्री तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.861 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।


महोदय,

उक्त विषयक प्रश्नगत प्रस्ताव इस कार्यालय को दो हार्ड छायाप्रतियों में प्राप्त हुयी हैं। प्रस्तुत हार्ड प्रति के गहन अवलोकन करने के पश्चात् निम्न प्रकार प्रस्ताव में अपूर्णता दृष्टिगत हो रही है, जिसका निराकरण किया जाना तत्काल आवश्यक है।

1. भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र—3 भाग—2 में सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी की मोहर नहीं लगाई गयी है।
2. प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र—20 परियोजना निर्माण से प्रभावित होने वाले वृक्षों के मूल्यांकन प्रमाण—पत्र में सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी की मोहर अंकित नहीं की गई है।
3. प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र—50 एन०पी०वी० के आंकलन के प्रमाण—पत्र में सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी की मोहर अंकित नहीं की गई है।
4. प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा ऑनलाईन भरे गये पार्ट—II पैरा—3 पर District wise diverted area 1.722 है० अंकित किया गया है, जबकि प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्रों में प्रस्तावित क्षेत्रफल 0.861 है० अंकित किया गया है। कृपया स्थिति स्पष्ट करें।

अतः उपरोक्त कमियों का निराकरण करने हेतु प्रस्तावक विभाग/प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें कि वह अपने किसी प्रतिनिधि को भेजकर प्रस्ताव इस कार्यालय से वापस प्राप्त कर लें एवं कमियों के निराकरण के पश्चात् पूर्ण प्रस्ताव मूल प्रतियों में प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।


भवदीय,


(मयंक शिखर झा)
उप वन संरक्षक

संख्या— 1726 / FP/UK/ROAD/146204/2021 दिनांकित।

1. प्रतिलिपि :- प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. प्रतिलिपि :- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गौचर को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त कमियों का पूर्णतः निराकरण कर सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/वन संरक्षक के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

o/c


(मयंक शिखर झा)
उप वन संरक्षक